न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 63/2021 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत, निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/164

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसको अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पत्रांक क्रमांक/एफ.2(120)सूकाअ/2021/1073 दिनांक 24.6.2021 से तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने .हेतु निवेदन किया गया:–

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा क्रमांक एफ.5(319)आरएसएलएसए/ पीएलसी /2020/2382 दिनांक 8.2.2021 प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीपति को प्रेषित प्रति की प्रतिलिपी दिलवाने की कृपा करे।
2. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक भ्र.नि.ब्यूरो/परि/2020/7400–04 दिनांक 24.8.2021 पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी एवं संलग्न प्रति की प्रतिलिपि दिलाने की कृपा करे।
3. राज्य सरकार द्वारा सम्वत् 2070 मे कृषि मे ओलावृष्टि के नुकसान का खसरा नम्बर 248,249 ग्राम मच्छीपुरा का मुआवजा 8280 रू पुस्तैनी खातेदारी सम्वत् 2008 के कब्जेदार काश्तकार काशि सिंह के नाम नही बनाकर दोषपूर्ण खातेदार मिश्री पुत्र नन्दा माली के नाम किस नियम से बनाया जिसका कोई अता पता नही है जिसकी जानकारी हल्का पटवारी को थी तब भी उच्च अधिकारियों अथवा राज्य सरकार से मार्ग दर्शन क्यो नही लिया की सत्य जानकारी की कृपा करे।
4. नुकसान से प्रभावित परिवेदना की उच्च स्तर से वस्तुस्थिति की सही रिपोर्ट तहसील स्तर से किस मन्शा से नही भेजी जा रही हैं।
5. ओलावृष्टि से नुकसान पुस्तैनी खातेदार सम्वत् 2008 के वारिस एवं कब्जेदार एवं काश्तकार का ही हुआ है जिसे अनदेखी करने पर भी किस नियम से की जा रही है जिसका जिम्मेदार कौन अधिकारी कर्मचारी है सत्य जानकारी दिलाने की कृपा करे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2021/2259 दिनांक 18.8.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.6.2021 के बिन्दु संख्या 3 लगायत 5 में चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1812 दिनांक 12.7.2021 एवं पत्रांक 2259 दिनांक 18.8.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3,4,5 मे अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सू[illegible] है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण चाही गयी सूचना के संबंध मे [illegible] गंगापुर सिटी द्वारा अधिनियम की तय समय सीमा मे अपीलान्ट को वस्तुस्थि[illegible] बिन्दु संख्या 2 की सूचना से संबंधित पत्र जिला कार्यालय मे [illegible] उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवाने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं [illegible]त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है। उक्त निर्देश के साथ अपील [illegible]न्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:16 IST
Reason: SelfAttested